रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1286] नई दिल्ली, मंगलवार, जून 17, 2014/ज्येष्ठ 27, 1936
No. 1286] NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 17, 2014/JYAISTHA 27, 1936

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 जून, 2014

का.आ. 1549(अ).—यतः, केन्द्रीय सरकार ने, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68), जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम संदर्भित किया गया है, धारा 11 के अधीन जारी की गई भारत सरकार के तत्कालीन पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग) की अधिसूचना संख्या का.आ. 465(अ), तारीख 26 अप्रैल, 2002 और संख्या का.आ. 1291 (अ), तारीख 11 नवम्बर, 2003 द्वारा केरल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 47 के 332.600 किलोमीटर 349.000 किलोमीटर (तमिलनाडु/केरल सीमा से कोच्चि सेक्शन), और 349.000 किलोमीटर–358.750 किलोमीटर (विलिला–अरूर सेक्शन) तक के खण्ड भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (जिसे इसमें इसके पश्चात् "प्राधिकरण" संदर्भित किया गया है) को सौंपे थे;

और यतः, केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग (राष्ट्रीय राजमार्गों के खण्ड/राष्ट्रीय राजमार्गों पर स्थायी पुल/अस्थायी पुल के उपयोग के लिए किसी व्यक्ति द्वारा शुल्क का संग्रहण) नियम, 1997 के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 8क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 670 (अ), तारीख 31 मार्च, 2011 द्वारा मैसर्स कोचिन पोर्ट रोड कंपनी लिमिटेड (भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की विषेष परियोजना कंपनी) को केरल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 47 के 342.000 किलोमीटर से 358.850 किलोमीटर के चार लेन के खण्ड इडापल्ली–विलिला–अरूर सेक्षन (जिसे इसमें इसके पश्चात् "उक्त खण्ड" संदर्भित किया गया है), के उपयोग के लिए यांत्रिक वाहनों पर नीचे उक्त सारणी–1 स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट श्रेणी के वाहनों पर, नीचे सारणी–1 के स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट आधार दरों पर शुल्क उद्ग्रहीत एवं संग्रहीत करने के लिए प्राधिकृत किया थाः

सारणी 1

क्रम संख्या	वाहनों की श्रेणी	प्रति एकतरफा यात्रा के लिए प्रति वाहन प्रति किलोमीटर शुल्क की आधार दर (रुपए में)
(1)	(2)	(3)
1.	कार, जीप, वैन	0.40
2.	हल्के वाणिज्यिक वाहन	0.70
3.	ट्रक, बस	1.40
4.	बहु–धुरीय (2 धुरी से अधिक वाले) वाहन, अर्थ मूविंग इक्विपमेन्ट (इ.इम.इ) अथवा भारी संनिर्माण मषीनरी (एचसीएम)	2.45

और यतः, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 14 के प्रावधानों के अनुसरण में मैसर्स कोचिन पोर्ट रोड कंपनी लिमिटेड (भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा सवंर्धित एक विषेश प्रयोजन कंपनी) ने 11.01.2013 को प्रस्तुत की गई बोली हेतु मैसर्स कोच्चि टोलवेज प्राइवेट लिमिटेड, जिसका पंजीकृत कार्यालय 8–2–686/बी/11/ 6/1, प्लॉट नं0 9, रोड नं0 12, बंगारा हिल्स, हैदराबाद, आन्ध्रपदेश–500034 में है (जिसे इसमें इसके पश्चात् "रियायतग्राही" संदर्भित किया गया है), के साथ तारीख 3 मई, 2013 को एक करार किया है (जिसे इसमें इसके पश्चात् "उक्त करार" संदर्भित किया गया है), और तारीख 03–05–2013 के रियायत करार के प्रति भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अर्थात् प्राधिकरण, कोचिन पोर्ट रोड कंपनी लिमिटेड (सीटीपीएल) और मैसर्स कोच्चि टोलवेज के साथ 28 नवम्बर, 2013 को एक अनुपूरक करार (त्रिपक्षीय करार) पर हस्ताक्षर किए गए थे जिसमें तारीख 03.05.2012 के रियायत करार को उसके सभी अधिकारों और दायित्वों सहित प्राधिकरण को हस्तांतरित करने हेतु सीटीपीएल की सहमति की परिकल्पना की गई थी, और तत्पष्चात् सीधे प्राधिकरण और मैसर्स कोच्चि टोलवेज प्राइवेट लिमिटेड के बीच 18.03.2014 को एक नए करार पर हस्ताक्षर किए गए थे जिसमें प्रचालन, अनुक्षण और हस्तांतरण (ओएमटी) आधार पर केरल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 66 (पूर्व रारा–47) पर 342.000 किलोमीटर से 358.750 किलोमीटर तक इडापल्ली–वितिल्ला–अरूर सेक्शन (जिसे इसमें इसके पश्चात् "उक्त सेक्शन" संदर्भित किया गया है) के प्रचालन एवं अनुरक्षण हेतु तारीख 03–05–2013 के करार और तारीख 28.11.2013 के अनुपूरक करार के प्रावधानों को शामिल किया गया था;

और यतः, केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजमार्ग (अस्थायी पुल) नियम, 1964, राष्ट्रीय राजमार्ग (किसी व्यक्ति द्वारा राष्ट्रीय राजमार्गों के खण्ड/राष्ट्रीय राजमार्गों पर स्थायी पुल/अस्थायी पुल के उपयोग के लिए शुल्क का संग्रहण) नियम, 1997, राष्ट्रीय राजमार्ग (राष्ट्रीय राजमार्ग के खण्ड और स्थायी पुल के उपयोग के लिए शुल्क–सार्वजनिक वित्तपोषित परियोजना) नियम, 1997 और राष्ट्रीय राजमार्ग (शुल्क की दर) नियम, 1997 का अधिक्रमण करते हुए राष्ट्रीय राजमार्गों के खण्डों, स्थायी पुलों, बाइपासों और सुरंगों के उपयोग के लिए शुल्क के संग्रहण हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण और संग्रहण) नियम, 2008 बनाए हैं जो सा.का.नि. 838(अ), तारीख 5 दिसम्बर, 2008 को प्रकाशित किए गए हैं;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण और संग्रहण) नियम, 2008, जिसमें सा.का.नि. 950 (अ), तारीख 3 दिसम्बर, 2010, सा.का.नि. 15 (अ), तारीख 12 जनवरी, 2011, सा.का.नि. 756 (अ), तारीख 12 अक्तूबर, 2011 को संशोधन किया गया था (जिसे इसमें इसके पश्चात् "उक्त नियम" संदर्भित किया गया है), के नियम 3 के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 8क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 670 (अ), तारीख 31 मार्च, 2011 का अधिक्रमण करते हुए, सिवाए उन बातों के जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले कर लिया गया है या करने से लोप करा दिया गया है, सड़क खण्ड की निवल लम्बाई 16.750 किलोमीटर हेतु, चार लेन के खण्डों के उपयोग के लिए सारणी–2 के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट प्रकार के वाहनों पर "उक्त खण्ड" के उपयोग हेतु सारणी–2 के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट आधार दर (जिसे इसमें इसके पश्चात् "आधार दर" संदर्भित किया गया है) पर शुल्क उद्ग्रहीत करती है, और रियायतग्राही को प्राधिकरण द्वारा घोषित वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख को और उस तारीख से या इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से, जो भी बाद में हो, करार में यथा–विनिर्दिष्ट समापन की तारीख तक, एतद्द्वारा शुल्क को उद्ग्रहीत करने एवं प्रतिधारित करने के लिए प्राधिकृत करती है।

सारणी–2

वाहन का प्रकार	आधार वर्ष 2007–08 के लिए प्रति कि.मी. शुल्क की आधार दर (रुपए में)
(1)	(2)
कार, जीप, वैन या हल्के मोटर वाहन	0.65
हल्के मोटर वाहन, हल्के माल वाहक वाहन अथवा मिनी बस	1.05
बस या ट्रक (दो धुरी वाले)	2.20
तीन धुरी वाले वाणिज्यिक वाहन	2.40
भारी संनिर्माण मशीन (एचसीएम) अथवा अर्थ मूविंग इक्विपमेन्ट (इएमइ) अथवा बहुधुरीय वाहन (एमएवी) (चार से छह धुरी वाले)	3.45
बड़े आकार वाले वाहन (सात या अधिक धुरी वाले)	4.20

1. नीचे उद्ग्रहीत तथा संग्रहीत शुल्क निम्नलिखित टोल प्लाजा पर, ऐसे टोल प्लाजा (प्लाजाओं) के लिए विनिर्दिष्ट सड़क की निवल लम्बाई हेतु, शोध्य और संदेय होगाः

टोल प्लाजा (प्लाजाओं) का अवस्थान चैनेज	लंबाई (किलोमीटर में) जिसके लिए शुल्क संदेय है
रारा—47 का कि.मी./चैनेज 356.400 (कोच्चि जिले में कुम्बलम गांव के पास)	16.750

2. जिस व्यक्ति का अपना यांत्रिक वाहन, गैर—वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए पंजीकृत हुआ हो और वह टोल प्लाजा से बीस किलोमीटर तक की दूरी में ही रहता हो, उसके लिए वर्ष 2013—14 के लिए मासिक पास की दर 215.00 रूपए (दो सौ पन्द्रह रूपए मात्र) होगी और राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण और संग्रहण) नियम, 2008 के उपबंधों के अनुसार उसमें प्रत्येक वर्ष संशोधन किया जायेगा ।

3.राजमार्ग खण्ड पर बहुयात्राओं हेतु पास निम्नलिखित दरों पर जारी किया जायेगा, अर्थात्:

संदेय राशि	अनुज्ञात एकतरफा यात्राओं की अधिकतम संख्या	विधिमान्यता की अवधि
एकतरफा यात्रा के शुल्क का डेढ़ गुना	दो	संदाय के समय से चौबीस घंटे
पचास या अधिक एकल यात्राओं के लिए संदेय शुल्क की राशि का दो—तिहाई	पचास या अधिक	संदाय की तारीख से एक मास

4. जिस जिले में शुल्क प्लाजा पड़ता है उस जिले में पंजीकृत वाणिज्यिक वाहन (राष्ट्रीय परमिट के अधीन चल रहे वाहनों को छोड़कर) के लिए शुल्क उस श्रेणी के वाहन के लिए निर्धारित शुल्क का 50% होगा बशर्ते के ऐसे वाणिज्यिक वाहनों के उपयोग के लिए कोई सर्विस रोड अथवा वैकल्पिक सड़क उपलब्ध न हो ।

5. जो यांत्रिक वाहन नियमों के अधीन अपनी श्रेणी के लिए निर्धारित अनुज्ञेय भार की अपेक्षा अधिक भार से लदे हुए होंगे, उन्हें ऐसी श्रेणी के यांत्रिक वाहनों पर लागू शुल्क के दस गुना के बराबर शुल्क का भुगतान करना होगा और उन्हें तब तक राजमार्ग खण्ड का उपयोग नहीं करने दिया जाएगा अथवा टोल प्लाजा को पार नहीं करने दिया जाएगा जब तक कि ऐसे यांत्रिक वाहन से अधिक भार को हटा न दिया जाए।

6. यांत्रिक वाहनों की श्रेणी, उनके लिए अनुज्ञेय भार, छूट प्राप्त वाहनों की श्रेणी, सर्विस रोड, वैकल्पिक सड़क आदि सहित सभी परिभाषाएं नियमों में विनिर्दिष्ट परिभाषाओं के अनुसार होंगी ।

7. उक्त नियमों के नियम 12 के अनुसार, उपयोगकर्ताओं की जानकारी के लिए शुल्क की दरों को प्रदर्शित किया जाएगा।

8. यांत्रिक वाहनों से लिए जाने वाले उपभोक्ता शुल्क की वास्तविक राषि में वृद्धि किसी भी हालत में ठीक पिछले वर्ष में लागू शुल्क के 25% से अधिक नहीं होगी।

9. ऊपर सारणी 1 तथा 2 में यथा—उल्लिखित, आधार वर्ष 2007—08 के लिए प्रति किलोमीटर शुल्क की आधार दर के आधार पर, यांत्रिक वाहनों से लिए जानेवाले वास्तविक शुल्क और छूट की गणना प्राधिकरण द्वारा की जाएगी और प्राधिकरण द्वारा उसे रियायतग्राही के माध्यम से अंग्रेजी और स्थानीय भाषा के कम—से—कम एक—एक समाचार पत्र में प्रकाषित करवाया जाएगा। तत्पष्चात् उक्त नियमों के नियम 5 के अनुसार उसमें वार्षिक तौर संषोधन किया जाएगा, परन्तु शर्त यह है कि शुल्क में पिछली बार की गई वृद्धि के 6 (छह) महीने की अवधि के भीतर कोई वृद्धि नहीं की जाएगी।

10. वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख से वसूल की जानेवाली परियोजना की पूंजीगत लागत (01.02.2014 के अनुसार) 268.16 करोड़ रुपए (दो सौ अड़सठ करोड़ सोलह लाख रुपए मात्र है) लागू दरों पर टोल रियायतग्राही द्वारा वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख से संग्रहीत किया जाएगा, 5 दिसम्बर, 2008 को सा.का.नि. 838 (अ) द्वारा प्रकाषित तथा बोली की निर्धारित तारीख तक उसमें लिए गए संषोधनों के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण एवं संग्रहण) नियम, 2008, में व्यवस्था की गई है। पूंजीगत लागत की वसूली से जाने के दिन के बाद से, लिए जाने वाले उपभोक्ता शुल्क को घटाकर 40% कर दिया जाएगा। यदि किसी स्थिति में वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख को 90 दिन तक पहले/ स्थगित कर दिया जाता है तो वसूल की जानेवाली पूंजीगत लागत का फिर से हिसाब लगाया जाएगा और इस संबंध में इंजीनियर/स्वतंत्र इंजीनियरों द्वारा वाणिज्यिक प्रचालन की वास्तविक तारीख के पष्चात् 30 दिन के अन्दर रियायतग्राही को सूचित कर दिया जाएगा।

[फा.सं. भाराराप्रा/13013/750/सीओ/13—14/जीसी—कोचीन (342.000—358.750)ओएमटी]

अलकेष शर्मा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th June, 2014

S.O. 1549(E).—Whereas, by notifications of the Government of India in the erstwhile Ministry of Shipping, Road Transport and Highways (Department of Road Transport and Highways) number S.O.465 (E), dated the 26th April, 2002 and number S.O. 1291 (E), dated the 11th November, 2003, issued under section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), hereinafter referred to as the said Act, the Central Government had entrusted the stretches from Km. 332.600 – Km 349.000 (Tamil Nadu/ Kerala Border to Kochi section) and Km 349.000 - Km. 358.750 (Vytila – Aroor section) of National Highway No. 47 in the State of Kerala to the National Highways Authority of India (hereinafter referred to as the Authority);

And whereas, in exercise of the powers conferred by section 8A of the National Highway Act 1956 (48 of 1956) read with the National Highways (Collection of Fees by any person for the Use of Section of National Highways/Permanent Bridge/Temporary Bridge on National Highways) Rules, 1997, the Central Government by notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways) number S.O. 670 (E) dated 31st March, 2011, had authorised M/s Cochin Port Road Company Limited (as SPV of NHAI) for levying and collecting fee on mechanical vehicles for the use of four-laned stretch from km 342.000 to km 358.750 (hereinafter referred to as the "said stretch") Edapally – Vytilla – Aroor section of National Highway Number 47 in the State of Kerala at the base rates specified in column (3) of the Table-1 below, on the category of vehicles specified in the column (2) of the said Table-1 below:

Table-1

S. No.	Category of Vehicles	Base rate of fee per km. Per vehicle per one way trip (in Rs.)
(1)	(2)	(3)
1.	Car Jeep Van	0.40
2.	Light Commercial Vehicle	0.70
3.	Truck, Bus	1.40
4.	Multi Axle Vehicle(> 2 axles), Earth Moving Equipment or Heavy Construction Machinery	2.25

IndiaCode

And whereas, pursuant to the provision of section 14 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), M/s Cochin Port Road Company Limited (a SPV promoted by the National Highway Authority of India) has entered into an agreement on 3rd day of May, 2013 (hereinafter referred to as said agreement) with M/s Cochi Tollways Private Limited, having its registered office at 8-2-686/B/11/6/1, Plot No. 9, Road No. 12, Banjara Hills, Hyderabad, Andhra Pradesh - 500034 (hereinafter referred to as the "Concessionaire") for the bid submitted on 11.01.2013, and a Supplementary Agreement (Tripartite Agreement) to the Concession Agreement dated 03.05.2013 was signed between National Highways Authority of India i.e. Authority, The Cochin Port Road Company Limited (CTPL) and M/s Cochi Tollways Private Limited on 28th day of November, 2013 envisaging the consent of CTPL to transfer the Concession Agreement dated 03.05.2013 to Authority along with all rights and obligations and subsequently a fresh agreement was signed directly between the Authority with M/s Cochi Tollways Private Limited on 18.03.2014 incorporating the provisions of agreement dated 03.05.2013 and supplementary agreement dated 28.11.2013, for the Operation & Maintenance of Edapally –Vytilla - Aroor section from kilometre 342.000 to kilometre 358.750 on National Highway No. 66 (formerly as NH-47) in the state of Kerala (hereinafter referred to as the "said section") on Operation, Maintainance and Transfer (OMT) basis;

And whereas, the Central Government, in exercise of the powers conferred by section 9 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) and in supersession of the National Highways (Temporary Bridges) Rules, 1964, the National Highways (Collection of Fees by any person for the Use of Section of National Highways/Permanent Bridge/Temporary Bridge on National Highways) Rules, 1997. The National Highways (fee for the use of National Highway Section and Permanent Bridge-Public Funded Project) Rules, 1997 and the National Highways (Rate of Fees) Rules, 1997, has framed the National Highways Fee

(Determination of Rates and Collection) Rules, 2008, vide number G.S.R. 838 (E) dated the 5th Dec, 2008, for collection of fee for use of sections of national highways, permanent bridges, bypasses and tunnels;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 8A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), read with rule 3 of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008 and amended vide G.S.R 950(E) dated 3rd December, 2010, G.S.R 15(E) dated 12th January, 2011, G.S.R 756(E) dated 12th October, 2011 (hereinafter referred to as the "said Rules"), and in supersession of the notification of the Government of India, in the Ministry of Road Transport and Highways, No. S.O. 670 (E) dated 31st March, 2011, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby levies fee at the base rate specified in column (2) of Table-2 for net road section length of 16.750 km (hereinafter referred to as "base rate"), for use of the four lane sections on the type of Vehicles specified in column (1) of Table-2 for the use of the "said stretch" and authorises the Concessionaire to collect and retain the fee on and from the date of commercial operation declared by the Authority or publication of this notification in the Official Gazette, whichever is later, till the termination date as specified in the agreement;

Table-2

Type of vehicle	Base rate of fee per km for the base year 2007-08 (in Rupees)
(1)	(2)
Car, Jeep, Van or Light Motor Vehicle	0.65
Light Commercial Vehicle, Light Goods Vehicle or Mini Bus	1.05
Bus or Truck (Two Axles)	2.20
Three-axle commercial vehicles	2.40
Heavy Construction Machinery (HCM) or Earth Moving Equipment (EME) or Multi Axle Vehicle (MAV) (four to six axles)	3.45
Oversized Vehicles (seven or more axles)	4.20

IndiaCode

1. The fee levied and collected hereunder shall be due and payable at the following Toll Plaza for net road length specified for such Toll Plaza (s):

Location of Toll Plaza(s) (chainage)	Length (in km) for which fee is payable
Km/Ch. 356.400 of NH-47 (near Kumbalam village in Kochi district)	16.750

2. The rate of monthly pass for a person who owns a mechanical vehicle registered for non-commercial purposes and resides within a distance of twenty kilometre from the toll plaza is Rs. 215.00 (Rupees Two Hundred Fifteen only) for the year 2013-14 and is subject to revision every year as per the provisions of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008.

3. For multiple journey on the highway section, passes shall be issued at the following rates, namely:

Amount Payable	Maximum number of one way journeys allowed	Period of validity
One and half times of the fee for one way journey	Two	Twenty four hours from the time of payment
Two-third of amount of the fee payable for fifty single journeys or more	Fifty or more	One month from date of payment

4. Fee for commercial vehicle (excluding vehicles plying under national permit) registered in the district where the fee plaza falls shall be 50% of the prescribed rate for that category of vehicle provided no service road or alternative road is available for use of such commercial vehicle.

5. Mechanical vehicle which is loaded in excess of permissible load specified for its category under the Rules, shall be liable to pay fee at ten times of the fee applicable to such category of mechanical vehicle and shall not be permitted to use the National Highway or cross the toll plaza unless the excess load has been removed from such mechanical vehicle.

6. All definitions including category of mechanical vehicles, its permissible load, category of exempted vehicles, service road, alternative road etc. shall be as per definitions specified in the said Rule.

7. The fee rates shall be displayed for information of the users in accordance with rules 12 of the said Rule.

8. The increase in the actual amount of user fee to be charged from the mechanical vehicles shall in no case be more than 25% of the fee applicable in the immediately preceding year.

9. Based on the base rate of fee per km for the base year 2007-08 as mentioned in Table 2 above, the actual amount of fee to be charged from the mechanical vehicles and the discounts will be calculated by the Authority. The same shall be got published by the Authority in at least one newspaper, each in English and vernacular language through the Concessionaire and thereafter revised annually in accordance with the rule 5 of the said Rules and provisions of the Concession Agreement and will be published provided, that no revision shall be effected within a period of 6 (six) months from the date of the preceding revision of fee.

10. The Capital Cost of the Project (as on 01.02.2014) to be recovered from the date of COD is Rs. 268.16 Crore (Rupees Two Hundred Sixty Eight Crore and Sixteen Lakh only). From the Commercial Operations Date (COD) toll shall be collected by the Concessionaire at the applicable rates provided under National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008 published vide G.S.R 838(E) dated 5th December, 2008 and further amended till bid due date. After the day on which the capital cost is recovered, the user fee chargeable shall be reduced to 40 % of the rate being charged. In case, due to any reason, COD is advanced/postponed up to 90 days, the Capital Cost to be recovered shall be reworked and intimated to the Concessionaire within 30 days after actual COD, by the Engineer/Independent Engineers.

[F. No. NHAI/13013/750/CO/13-14/GC–Cochin (342.000 – 358.750) OMT]

ALKESH SHARMA, Jt. Secy.

IndiaCode

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.